तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/9/17	पत्रा० पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वाद वादी खारिज किया जाकर निर्णय सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर श्रा०कि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
80/दावा/2018	15.10.2018	25.09.2019

पप्पू सिंह आ0 कजोड़ सिंह जाति सोन्धया राजपूत निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
......वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलेक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री कुलदीप सिंह गौड
अधिवक्ता प्रतिवादीः–

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89, 209 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है कि:–

1. यह कि कृषि भूमि खसरा संख्या 516 मि0 रकबा 34 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम सूतडा पटवार क्षेत्र धनेश्वर तहसील तालेडा, जिला बूंदी मे विस्थित है। जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे सिवायचक राज्य सरकार दर्ज है।
2. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 516 मि0 रकबा 34 बीघा 3 बिस्वा मे से 2 बीघा 10 बीस्वा भूमि को वादी के पिता स्व0 कजोड सिंह ने उबड खाबड से फाड तोडकर कृषि योग्य बनाया है। जिसकी चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार से है। :–

   पूर्व में:– ग्राम पंचायत की भूमि व विद्यालय
   पश्चिम में:–ओम जी की कृषि भूमि
   उत्तर में:– आम रास्ता कृषि भूमि पर जाने का
   दक्षिण में:– राष्ट्रीय राजमार्ग 23
3. यह की कृषि भूमि खसरा संख्या 561 मि0 रकबा 34 बीघा 3 बिस्वा मे से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादी के पिता का पिछले 30 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान मे वादी काबिज काश्त है। वादी के पिता निर्बाध रूप से काबिज रहे है।
4. यह कि वादी के पिता के द्वारा ही उबड खाबड से फाडकर कृषि योग्य बनाने के बाद ही 2 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि पर चारो तरफ पत्थर का कोट करवा दिया था। उक्त कृषि भूमि पर नियमित रूप से काबिज काश्त करने रहने से वादी व उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड की खसरा परिवर्तनशील मे दर्ज हो गया है।
5. यह कि वादी के पिता के बाद वादी का नाम सम्वत 2061 यानि सन् 2004 की खसरा परिवर्तनशील मे कृषि भूमि खसरा संख्या 516 मि0 रकबा 34 बीघा 3 बिस्वा मे से 2 बीघा 10 बिस्वा पर नाम दर्ज हो रहा है। अर्थात वादी स्वंय पिछले 14 वर्षो से निर्बाध रूप से उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है।

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

6. यह कि वादी के द्धारा अपना नाम खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2061 में दर्ज होने के बाद से नियमित रूप से पेनल्टी राशि को प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यालय में जमा करवायी जा रही है। खसरा परिवर्तनशील वादी का कब्जा काश्त है।
7. यह कि वादी का नाम खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2061 मे दर्ज होने के बाद पिछले 14 वर्षो से निर्बाद रूप से काबिज चले आने वादी को मालिकाना हक प्राप्त हो चुके है। वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद मे वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 516 मि0 रकबा 34 बीघा 3 बिस्वा मे से 2 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार कृषक बन चुका है।
8. यह कि वादी को उक्त कृषि भूमि रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा मे खातेदारी अधिकारी नही मिलने से सरकारी योजनाओ व सुविधाओ से प्राप्त होने वाले से वंचित होना पड रहा है।
9. यह कि वादी अपने कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 516 मि0 रकबा 34 बीघा 3 बिस्वा मे से 2 बीघा 10 बिस्वा पर पिछले 30 वर्षो से यानि पहले अपने पिता व उसके बाद वादी काबिज काश्त चले आ रहे है। कानून भी 12 वर्ष तक लगातार काबिज रहने से खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाते है।
10. यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वाद मे वर्णिक कृषि भूमि खसरा संख्या 516 मि0 रकबा 34 बीघा 3 बिस्वा मे से 2 बीघा 10 बिस्वा का कब्जा मुखालफाना के आधार पर स्वंय को खातेदार दर्ज करवाये । वादी अधिकार इस बाबत नियमानुसार राजस्व राशि जमा कराने को तत्पर है।
11. यही कि वादी वाद वर्णित कृषि भूमि 2 बीघा 10 बिस्वा पर पिछले 15 वर्षो से नियमित रूप से कब्जा चला आ रहा है। तथा वादी द्धारा नियमित रूप से पेनल्टी राशि भी करवायी जा रही है। फिर भी प्रतिवादीगण जबरन व बिना विधिक प्रकिया के वादी को बेदखल करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। वादी कई मर्तबा प्रतिवादीगण से मौखिक तौर पर निवेदन कर चुका है। यही वाद कारण है जो निरन्तर पैदा हो रहा है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति के नाम आवटंन करने की धमकी दे रहे है।
12. यह कि वाद पत्र मे राज्य सरकार को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। राज्य सरकार ,को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 जा0दी0का 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। किन्तु यदि प्रतिवादीगण –राज्य सरकार को 2 माह का नोटिस दिया जाता है। तो प्रतिवादीगण जबरन वादी को उीसके कब्जा काश्त की कृशि भूमि से बेदखल कर देंगे।, जिससे वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण उक्त भूमि से वादी बेदखल करके अन्य व्यक्ति को आवंटिक कर सकते है। जिसकी पूर्ति किसी तरह से संभव नहीं होगी।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे–

1. यह कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि ख0सं0 516 मि0 रकबा 34 बीघा 3 बिस्वा में से वादी को कब्जा दर्ज अनुसार 2 बीघा 10 बिस्वा का खातेदारी अधिकार प्रधान करते हुये खातेदार धोषित किया जावे, साथ ही इस हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।
2. यह कि इस बाबत प्रतिवादी सं0 1 को तहरीर रिपोर्ट जारी कर पालना रिपोर्ट शीघ्र अतिशीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जावे।
3. अन्य न्यायोचित सहायत जो सुलभ हो वादी को प्रदान करायी जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से कोई जवाब दावा पेश नहीं करने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

साक्ष्य में वादी की और से नकल खसरा परिवर्तनशील संवत् 2061 ग्राम सुतड़ा, नकल पेनल्टी रसीद सन् 2004–05 किता–3, नकल नोटिस धारा 91 किता–2 की प्रतियॉ पेश की।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वर्णित सिवायचक कृषि भूमि को कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार देने हेतु निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। चूंकि ग्राम सूथड़ा तहसील तालेडा अनकमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आता है एवं ग्राम सूथड़ा खनन क्षेत्र के अन्तर्गत आने से राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि खातेदारी अधिकार दिये जाना प्रतिबन्धित है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बूंदी

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।

इजलास मोहम्मद ताहीर , आर0ए0एस0

पप्पू सिंह आ0 कजोड़ सिंह जाति सोन्धया राजपूत निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
......वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलेक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89, 209 आर.टी.एक्ट
80/दावा/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री कुलदीप सिंह गौड एडवोकेट मिनजानिब मुदई .. मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

नीज............................ मुबलिक................................ बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह........................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान					

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 25 माह 09 वर्ष 2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी